स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672, Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2011

पत्रांक डी. 26015/4/2003 (पार्ट) 630 दिनांक–15/3/2011

जनगणना 2011 के अभिलेखों को पटना स्थित जनगणना कार्यालयों/गोदामों के बीच परिवहन कार्य के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें

1) भारत की जनगणना 2011 के अभिलेखों के ट्रान्सपोर्टेशन कार्य हेतु पटना स्थित केन्द्रीय भंडारण निगम, मुसल्लहपुर, सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, तालपत्रा लेन, बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित जनगणना कार्यालयों एवं राज्य भंडार निगम, बाजार समिति फतुहा स्थित जनगणना गोदाम के बीच 1 टन, 3 टन, 5 टन एवं 9 टन क्षमता वाली मालवाहक टेम्पों एवं ट्रकों से ले जाने हेतु मोटर परिवहन उपक्रम चलानेवाले निबंधित ट्रान्सपोर्टरों (निबंधन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा) से निम्नलिखित शर्तों के साथ उनके लेटर पैड पर मुहरबन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें दिनांक 22.03.2011 के अपराह्न 3.00 (तीन) बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी तथा उक्त तिथि को ही 4.00 (चार) बजे अपराह्न में निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होनेवाले निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2) निविदादाताओं को 1 टन, 3 टन, 5 टन एवं 9 टन क्षमता वाली मालवाहक टेम्पों एवं ट्रकों या अन्य मोटर वाहन की दर निविदा में प्रति वाहन/प्रति बॉक्स (लगभग 12 किलोग्राम) लोडिंग एवं अनलोडिंग (रैक से उठाकर रैक पर रखना) के साथ अलग–अलग अंकों तथा शब्दों में दर्शानी होगी तथा अपनी जिम्मेवारी पर अभिलेखों की सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ढुलाई करनी होगी। अलग से कोई दर/व्यय देय नहीं होगा।

3) निविदादाताओं द्वारा किसी भी कार्य दिवस को पटना स्थित केन्द्रीय भंडारण निगम, मुसल्लहपुर, सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना–4 एवं बुद्ध मार्ग तालपत्रा लेन, पटना–1 में अवस्थित जनगणना कार्यालयों में परिवहन योग्य सामग्रियों का अवलोकन किया जा सकता है।

4) निविदाता को भारत की जनगणना के अभिलेखों के ट्रान्सपोर्टेशन के दौरान अन्य किसी प्रकार के सामानों को उक्त अभिलेखों के साथ ढुलाई करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा अभिलेख संबंधित कार्यालयों में पहुँचाने तथा लाने तथा आग, धूप, कीचड़, पानी, वर्षा, दंगा, हड़ताल एवं चोरी या अन्य किसी प्रकार की क्षति से बचाने की जिम्मेबारी होगी।

5) सफल निविदाता की दर अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी। उनके द्वारा किसी शर्त को भंग किये जाने पर उनकी जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

6) निविदादाताओं को यह गारंटी देनी होगी की इस निदेशालय/संबंधित कार्यालय से ट्रक (या वाहन) की आवश्यकता/मांग होने के कम में सूचना प्राप्त होते ही अधिकतम छह घंटे के भीतर वे इस निदेशालय अथवा संबंधित गोदाम में तुरंत ट्रक (वाहन) उपलब्ध करा देंगे। यदि समय पर ट्रक (वाहन) उपलब्ध कराने में अक्षम होगें तो निदेशालय इस परिस्थिति में अन्य ट्रान्सपोर्टरों से ट्रक (वाहन) की व्यवस्था करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेबारी सफल निविदाता को होगी तथा उन्हें व्यय की गई राशि का भुगतान करना होगा।

7) निविदादाता को जमानत (Security) के रूप में 10,000/– (दस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रड–I, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना भुगतेय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बोरिंग रोड, ब्रान्च पटना–800001 के नाम बनाकर निविदा में संलग्न करना होगा। निविदा की दर स्वीकृत होने के उपरान्त सफल निविदादाता को छोड़कर अन्य असफल निविदादाताओं को अग्रधन (मूल में) वापस कर दिया जायेगा तथा सफल निविदादाता को अग्रधन की राशि सही ढंग से कार्य करने के उपरान्त उनके अनुरोध पर वापस कर दी जायेगी। जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं रहने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

8) निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ समर्पित करना होगा।

9) निविदादाताओं को अघतन आयकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र (Current Income Tax Clearance Certificate) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जमानत की राशि तथा आयकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र निविदा में संलग्न नहीं किये जाने पर निविदा रद्द कर दी जायेगी।

10) निविदादाता को उनके विपत्र की राशि का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु विपत्र की तीन प्रतियां बनाकर उन्हें संबंधित शाखा को सुपुर्द करना होगा तथा उनके प्रमाण–पत्र के आधार पर निदेशालय स्तर से राशि भुगतान की जायेगी।

11) नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।

12 किसी निविदा को बिना कारण बताये रद्द घोषित करने का अधिकार निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार के पास सुरक्षित रहेगा।

15-3-2011

(रमेश प्रसाद)
सहायक निदेशक (का0 अ0)
जनगणना परिचालन, बिहार, पटना।

परिवहन हेतु निविदा

	दर लोडिंग/अनलोडिंग एवं सभी व्यय के साथ					
क्र. सं.	परिवहन स्थानों का विवरण	1 टन	3 टन	5 टन	9 टन	12 किलोग्राम के बक्से का प्रति बॉक्स दर
1.	सी0डब्लू0सी0, मुसल्लेहपुर से बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गोदाम, फतुहा, पटना					
2	सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ पटना–4 से बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गोदाम, फतुहा, पटना					
3.	आदित्या कम्पाउण्ड के नजदीक, तलपत्रा लेन, बुद्ध मार्ग, पटना–1 से बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गोदाम, फतुहा, पटना					
4.	आदित्या कम्पाउण्ड के नजदीक, तलपत्रा लेन, बुद्ध मार्ग, पटना–1 से सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ पटना–4					
5.	सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ पटना–4 से सी0डब्लू0सी0, मुसल्लेहपुर, पटना					

निविदादाता /प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पता

हस्ताक्षर / तिथि